प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 17 मार्च, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रामबिलास पुत्र श्री टोडीदास कुर्मी, निवासी जनपद-शाहजहांपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-36860/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-19.11.2024, दिनांक 05.12.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बंदी रामबिलास पुत्र श्री टोडीदास कुर्मी (दिनांक 20.10.2024 तक बन्दी की आयु लगभग 67 वर्ष 11 माह) ग्राम-अकबरपुर, थाना-खुदागंज, जनपद-शाहजहांपुर का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 18.09.1982 को अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक व लाठी से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या- 810/1982 में भा0द0वि0 की धारा-302, 307, 323/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-04, शाहजहांपुर के आदेश दिनांक 01.11.1983 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 25.09.2019 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया। दिनांक 20.10.2024 तक अपरिहार 03 वर्ष, 03 माह, 08 दिन तथा सपरिहार 04 वर्ष, 06 दिन की मात्र सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध को देखते हुए जेल से रिहा किया गया तो समाज में भय व्यापक रूप से प्रभावित करेगा, रिहा होने पर जघन्य अपराध होने की संभावना, पुनः अपराध करने में अशक्त न होना एवं जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति की आख्यानुसार बन्दी की 67 वर्ष, 11 माह की आयु एवं स्वास्थ्य की दशा संतोषजनक होने, बन्दी द्वारा आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 20.10.2024 तक अपरिहार 03 वर्ष, 03 माह, 08 दिन तथा सपरिहार 04 वर्ष, 06 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष समयपूर्व रिहाई होने से समाज में प्रतिकूल सन्देश जाने तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रामबिलास (बन्दी संख्या-50170) पुत्र श्री टोडीदास कुर्मी, निवासी जनपद-शाहजहांपुर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-210/2026/2100(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर।

2- पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर।

3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।